कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 7(4)अकाद/निकाशि/ओरि./जोधपुर/08/ 162 दिनांकः 14 सितम्बर,2011

निदेशक,
अकादमी स्टाफ कॉलेज,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर।

विषयः. दिनांक 26.09.11 से 22.10.2011 तक आयोजित ओरियेन्टेशन कोर्स बाबत।
संदर्भः आपका पत्र क्रमांकः जेएनवीयू/एएससी/2011/5325 दिनांक 08.09.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक 26.09.11 से 22.10.2011 तक आयोजित ओरियेन्टेशन कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	सुदर्शन सिंह राठौड़	इतिहास	राज0 कन्या महा0, जालौर
2	अनिल कुमार चौधरी	इतिहास	राज0 कन्या महा0, नीमकाथाना
3	मनीष तिवाड़ी	समाजशास्त्र	राज0 कन्या महा0, बीकानेर
4	अनुपम	हिन्दी	राज0 महा0, जालौर
5	देवेन्द्र कुमार गुप्ता	हिन्दी	राज0 महा0, धौलपुर
6	प्रेम परिहार	ई.ए.एफ.एम.	राज0 महा0, मेड़तासिटी
7	श्रद्धा	गृहविज्ञान	राज0 कन्या महा0, बीकानेर
8	चेतन कुमार जोशी	प्राणीशास्त्र	राज0 महा0, झुन्झुनू
9	राजमोहन मीणा	प्राणीशास्त्र	राज0 महा0, झुन्झुनू
10	मुन्ना लाल मीणा	रसायन शास्त्र	राज0 महा0, मण्डफिया
11	रामलखन मीणा	रसायन शास्त्र	राज0 महा0, करौली
12	दुर्गेश नन्दनी	वनस्पति शास्त्र	राज0 महा0, मेड़तासिटी
13	हितेश कुमार मिण्डा	भौतिक शास्त्र	राज0 कन्या महा0, श्रीगंगानगर

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची आयुक्तालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकःएफ 7(4)अकाद/निकाशि/ओरि./जोधपुर/08/ 162 दिनांकः 14 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

(अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 26.09.11 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ

कॉलेज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

(ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है।

(स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से ओरियेन्टेशन कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुऐ अतिरिक्त कक्षाऐं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।

2. संबंधित व्याख्याता – यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2012 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली ।

14.9.11

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर